छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010
(चैत्र-4, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 04, 06 से 09, 11, 12, 14, 16 से 21 एवं 23 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 05, 10, 15, तथा 13 एवं 22 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री चैतराम साहू, अग्नि चंद्राकर, सौरभ सिंह एवं दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नों का प्रथम चक्र पूरा होने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थित सदस्यों के नाम द्वितीय चक्र में पुकारे गए। सदस्यों के अनुपस्थित रहने से कार्यसूची के अगले कार्य को लिया गया।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, रविशंकर त्रिपाठी, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने राजधानी रायपुर में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने दुर्ग जिले की वृहद पेयजल योजना हेतु वित्तीय आवंटन जारी न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम, विकासखण्ड सहसपुर लोहारा में पेंशनधारियों के नकली हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाकर लाखों रूपये का गबन किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री नंदकुमार साहू, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 13)	महंत रामसुंदर दास	45 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री सौरभ सिंह	45 मिनट
3. (क्रमांक - 14)	डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी	30 मिनट
4. (क्रमांक - 09)	श्री सौरभ सिंह	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. मंत्री का वक्तव्य

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने दिनांक 12 जनवरी, 2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक 76) के उत्तर में संशोधन के संबंध में, तथा

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिनांक 15 फरवरी, 2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक 497) के उत्तर में संशोधन के संबंध में,

वक्तव्य दिया।

8. संकल्प

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994(1994 का क्रमांक 42) में लोकसभा द्वारा किये जाने वाले संशोधनों को छत्तीसगढ़ राज्य में वैधानिक रूप से लागू करना।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए मानव शरीर से अंगों को निकालने, भंडारण करने, मानव शरीर में उन्हें प्रत्यारोपण करने एवं इन गतिविधियों से क्रियान्वयन में होने वाली व्यवसायिक लेन-देन को प्रतिबंधित करने हेतु लोकसभा द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 42) व्यवस्थापित किया गया है।

उक्त अधिनियम को लागू करने में कुछ वैधानिक कमियां ध्यान में आयी हैं, जिनके कारण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 42) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 249 एवं 250 से संबंधित मामलों के अलावा अन्य किसी भी मामले में राज्यों के लिए कानून बनाने हेतु लोकसभा को अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे कानूनों की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सेवन्थ शेड्यूल्ड) की सूची क्रमांक-2 (लिस्ट-2) छठवीं प्रविष्टि (एन्ट्री 6) से संबंधित है जो कि अंग प्रत्यारोपण के वास्तविक प्रकरणों में सुविधाएं सुलभ कराने तथा अवैधानिक एवं/अथवा व्यवसायिक लेन-देन में लिप्त प्रकरणों को हतोत्साहित करने हेतु दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित् करने से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा द्वारा पारित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 42) में उपरोक्तानुसार संशोधन वैधानिक रूप से किया जाना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वांछनीय है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 252 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सदन एतद्द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 42) में लोकसभा द्वारा किये जाने वाले संशोधनों को छत्तीसगढ़ राज्य में वैधानिक रूप से लागू करने हेतु संकल्प पारित करता है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, देवजी पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। तद्नुसार "मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994(1994 का क्रमांक 42) में लोकसभा द्वारा किये जाने वाले संशोधनों को छत्तीसगढ़ राज्य में वैधानिक रूप से लागू करना।"

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के कार्य पूर्ण हो सके अतः भोजन अवकाश नहीं होने संबंधी घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, दीपक कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री फूलचंद सिंह, रविशंकर त्रिपाठी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सदन की सहमति से नियम 158(2) को शिथिल कर विनियोग विधेयक पारण के समय तथा सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

10. सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सायं 7.00 बजे से महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या आयोजित है। महामहिम राज्यपाल ठीक 7.00 बजे उपस्थित हो जाएंगे। अतः सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें, समय पर उपस्थित हो जायें।

सायं 5.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा